यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पौड़ी** के माह 03/2018 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान एवं श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11-03-2019 से 14-03-2019. तक श्री बी॰ डी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कुलदीप कुमार एवं श्री संजय कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी वरिष्ठ लेखा परीक्षक के द्वारा श्री राकेश कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 09/03/2018 से 23/03/2018 तक मे संपादित किया गया था जिसमें 07/2010 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2018 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पौड़ी का मुख्य कार्यकलाप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान का वितरण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद टिहरी के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) **(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) रू॰	बचत (-) रू॰
	स्थापना रू॰	गैर स्थापना	आवंटन रू॰	व्यय रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰		
2015-16	शून्य	शून्य	172.70	155.78	19.75	13.49	---	23.18
2016-17	शून्य	शून्य	230.54	162.17	27.00	24.17	---	71.20
2017-18	शून्य	शून्य	269.20	219.36	27.86	18.79	---	58.91
2018-19 (Upto Feb. 2019)	शून्य	शून्य	423.60	294.51	50.00	47.89		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/ बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Feb. 2019)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत वित्तीय नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति स्तर से प्राप्त किए जाते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. आयुक्त 3. अपर आयुक्त 4. संयुक्त आयुक्त 5. वित्त नियन्त्रक 6. उपायुक्त 7. जिला पूर्ति अधिकारी 8. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 9. पूर्ति निरीक्षक 10. लेखाकार आदि

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पौड़ी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा नियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-01- राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्डों का बैंक लिंक्ड न होने के कारण DBT का अंतरण न होना।

भारत सरकार के निर्देशानुसार खाद्य सब्सिडी योजना लागू किए जाने हेतु खाद्य सहायिकी का नगद अंतरण (DBT) नियम 2015 के अनुसार लाभार्थियों के बैंक खाते एवं आधार विवरण प्राप्त किए जाने विषयक चैक लिस्ट उपलब्ध कराये जाने के साथ ही उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों से अपेक्षा की गयी थी कि लाभार्थियों का बैंक खाता ब्योरा एवं आधार संख्या प्राप्त किया जाए।

जनपद की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि राज्य में DBT, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFY) के अंतर्गत नवम्बर 2017 में प्रारम्भ किया गया था। जनपद में SFY अभी तक 74241 राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं, जिनमें से 49256 राशन कार्डों को बैंक खाते से सम्बद्ध किया गया है, जो कि कुल निर्गत कार्डों का 66 प्रतिशत है। अतः राज्य से प्राप्त DBT का लाभ केवल 66 प्रतिशत कार्ड धारकों को ही मिल पा रहा था। राज्य सरकार द्वारा जनपद को अभी तक DBT के मद में रुपए 34.00 लाख अवमुक्त किए जा चुके हैं जिसके विरुद्ध रुपए 28.66 लाख की धनराशि उपभोक्ताओं को निर्गत की जा चुकी हैं, शेष DBT 5.34 लाख रुपए अभी तक जिला पूर्ति अधिकारी के पास अवितरित पड़े हुये हैं। इस प्रकार SFY के अंतर्गत राशन कार्डों के बैंक से सम्बद्ध न कराये जाने के कारण 34 प्रतिशत उपभोक्ताओं को योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा था।

उक्त के सम्बंध इंगित किए जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि मई 2018 में राशन कार्ड सॉफ्टवेर बंद होने के कारण बैंक लिकिंग का कार्य रूक गया था साथ ही कार्ड धारकों द्वारा अपने बैंक खाता विवरण भी समय से प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि DBT लागू होने के दो वर्ष बाद भी लाभार्थियों को इसका भुगतान न किए जाने के कारण योजना का क्रियान्वयन सही रूप से नहीं किया जा रहा था।

अतः राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शासन कार्डों का बैंक लिंक्यु न होने के कारण DBT का अंतरम न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:2 अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अधिक खाद्यान का आबंटन एवं वितरण।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्ड धारक को प्रति माह 13.30 kg गेहूं तथा 21.70 kg चावल का आबंटन एवं वितरण सरकारी मूल्यों पर किया जाना था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक पूर्ति विभाग, पौड़ी के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य सरकार द्वारा 16 दिसम्बर 2016 के आबंटन आदेश में जनपद के अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 13546 राशन कार्डों पर खाद्यान का वितरण किया गया था जबकि वर्तमान में जनपद द्वारा 11984 अंत्योदय कार्डों पर खाद्यान आबंटित एवं निर्गत करना दिखाया जा रहा था जिसके अनुसार अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 तक खाद्यान आबंटन निम्न प्रकार था-

मात्रा कुंतल में

खाद्यान	**ऑन लाइन अंत्योदय कार्डों की संख्या**	**मानक के अनुसार आबंटन**	**वास्तविक आबंटन**	**आधिक्य**
गेहूं	11984	कार्ड सख्या x 0.133 कु. X 11 माह= **17532.592**	19660.90	2128.308
चावल	11984	कार्ड सख्या x 0.217 कु. X 11 माह= **28605.81**	31779.90	3174.09

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जनपद में ऑन लाइन कार्डों के अनुसार अधिक खाद्यान्न का आबंटन एवं वितरण किया जा रहा है।

लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति किए जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवग्ता कराया गया कि पूर्व में जनपद में 13546 अंत्योदय कार्ड धारक थे जिनके अनुसार शासन द्वारा वर्ष 2016 से खाद्यानों का आबंटन प्राप्त हो रहा है इसी बीच भारत सरकार के निर्देशानुसार इन कार्डों का डिजिटैजेशन/ आधार सीडिंग का कार्य शुरू किया गया था जिसमें मई 2018 तक 11984 कार्डों को अभी तक ऑन लाइन एवं आधार लिंक्ड किया गया है चूंकि मई 2018 के बाद राशन कार्ड सॉफ्टवेयर बंद हो गया था जिस कारण शेष कार्ड ऑन लाइन नहीं हो पाये चूंकि NFSA 2013 के अनुसार राशन कार्ड धारक को खाद्यान का वितरण किया जाना आवश्यक है जिस कारण ऑफ लाइन राशन कार्डों पर भी खाद्यान वितरण किया जा रहा है। भविष्य में बचे हुये राशन कार्डों को शीघ्र ऑन लाइन कर दिया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शासन के बार-बार आदेश करने के बाद भी अंत्योदय कार्डों का पूर्ण डिजिटैजेशन नहीं किया गया उन लाभार्थियों को भी खाद्यान उपलब्ध कराया गया जिन का अभी तक डिजिटैजेशन नहीं हो पाया था।

STAN

प्रस्तर:01- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक जनसख्या का सम्मिलित किया जाना।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किए जाने के कारण राज्यों को विभिन्न योजना के अंतर्गत लाभर्थियों के चयन हेतु आदेश निर्गत किए गए थे जिसके अंतर्गत 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की केवल 65.26 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों की 52.05 प्रतिशत जनसंख्या को सम्मिलित किया जाना था जिसमें तत्समय जारी किए गए अंत्योदय जनसंख्या भी सम्मिलित थी। अतः प्राथमिक परिवार के अन्तर्गत सम्मिलित लाभार्थियों की संख्या कुल चयनित जनसंख्या में से अंत्योदय जनसंख्या के घटाने पर शेष जनसंख्या के बराबर होगी।

1- वर्ष 2011 में जनपद पौड़ी की ग्रामीण जनसंख्या कुल 574568 थी जिसका 65.26 प्रतिशत 374963 था तथा अंत्योदय जनसंख्या 61132 थी अतः प्राथमिक परिवार हेतु कुल यूनिटों/ जनसंख्या की संख्या = 65.26 प्रतिशत जनसंख्या - अंत्योदय जनसंख्या
   374963-61132=313831
2- वर्ष 2011 में जनपद टिहरी की शहरी जनसंख्या कुल 112702 थी जिसका 52.05 प्रतिशत 58661 था तथा अंत्योदय जनसंख्या 3988 थी अतः प्राथमिक परिवार हेतु कुल यूनिटों/ जनसंख्या की संख्या = 52.05 प्रतिशत जनसंख्या - अंत्योदय जनसंख्या
   58661-3988=44673
3- अतः जनपद में प्राथमिक परिवार योजना हेतु 358504 (1+2) लाभार्थियों का चयन किया जाना था।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्राथमिक परिवार के अंतर्गत 384966 लाभार्थियों को खाद्यान उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि लक्ष्य से 26462 (384966-358504) अधिक था जो कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था अतः जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सही लक्ष्य का आगणन नहीं किया गया तथा लक्ष्य से अधिक जनसंख्या को सम्मिलित कर भारत सरकार को अधिक मांग प्रेषित की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रारम्भ में त्रुटि वश गलत आंकड़े प्रस्तुत हो गए थे जिसे डिजिटैजेशन प्रक्रिया के तहत सही कर दिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ में ही कुल जनसंख्या के आच्छादयन हेतु लक्ष्य निर्धारित कर दिये गए थे जिसका पालन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक जनसख्या को सम्मिलित किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:02- जनपद में राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग तथा डिजिटाइज्ड करने का कार्य जून 2017 तक पूर्ण कर लिया जाये जिसके सन्दर्भ में खाद्य आयुक्त द्वारा निर्देशित (जून 2017) किया गया था कि सभी लाभार्थियो का आधार सीडिंग तथा इनका डिजिटैजेशन सितम्बर तक अनिवार्य रूप से किया जाये।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक पूर्ति विभाग, पौड़ी के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में अभी तक कुल 165437 राशन कार्डों में से 2921 राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य अपूर्ण था तथा 684193 लाभार्थियों में से 131360 लाभार्थियों का आधार सीडिंग का कार्य अपूर्ण था। जनपद के अन्तर्गत मुखिया के 98.23 प्रतिशत तथा लाभार्थियों का 80.80 प्रतिशत आधार सीडिंग लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

लेखा परीक्षा में कारण पूछे जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आधार सीडिंग का कार्य प्रगति पर है, NIC द्वारा नवनिर्मित सॉफ्टवेर प्रारम्भ करने के पश्चात यह कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्तमान में नए सॉफ्टवेर में आधार सीडिंग कार्य चल रहा है।

विभाग का उत्तर संतोषजंक नहीं क्योंकि आदेशानुसार यह कार्य जून 2017 तक पूर्ण किया जाना था किन्तु विभाग द्वारा मार्च 2019 तक 2921 कार्डों तथा 131360 लाभार्थियों का आधार सीडिंग का कार्य नहीं किया गया था।

अतः जनपद में राशन कार्डों का आधार सीडिंग न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:3- पेट्रोल पम्पों की जांच न किया जाना तथा विस्फोटक नियन्त्रक से अनुमति प्राप्त किए बिना लाइसेन्स जारी करने से पेट्रोल पम्पों के मालिकों को अनुचित लाभ पहुंचाना।

पेट्रोलियम नियमावली के नियम 149 (5) के अनुसार पेट्रोल पम्प के लाइसेन्स का नवीकरण लाइसेन्स की अवधि समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पहले लाइसेंस जारी कर्ता के पास आवेदन कर दिया जाना चाहिये। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन मोटर वाहनों में ईंधन डालने के लिए पम्प आउटफिट के संबंध में टैंक में पेट्रोलियम भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति के अनुसार पेट्रोलियम वर्ग 'क' परिसर के लिए उसकी क्षमता के अनुसार भूमिगत गैस टाईट टैंक जो निर्धारित विद्युत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से जुड़े होने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार कोई भी निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत दिशा निर्देशों एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमि॰ के अपने मानकों के अनुसार करना होगा।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, पौड़ी में पेट्रोल पम्पों के लाइसेन्स अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में 20 पेट्रोल पम्प संचालित थे। जिसमें से 09 पेट्रोल पम्पों के द्वारा लाइसेन्स का नवीकरण लाइसेन्स की अवधि समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन नहीं किया जा रहा था, इसके लिए पूर्ति अधिकारी द्वारा पेट्रोलियम नियम 149 (5) के अनुसार पेट्रोल पम्पों से अनुपालन कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 20 पेट्रोल पम्पों में से किसी के द्वारा भी विस्फोटक नियन्त्रक से प्रारूप 14 में अनुमति प्राप्त नहीं की गयी और उनका लाइसेन्स जारी कर दिया गया।

आगे यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा पेट्रोल पम्पों की अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार जांच नहीं की जा रही थी। पेट्रोल पम्पों के द्वारा भूमिगत गैस टाईट टैंक से निर्धारित विद्युत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से निर्धारित नोजलों से अधिक नोजल लगाये जाने की जांच भी विभाग द्वारा नहीं की जा रही थी।

उक्त से स्पष्ट था कि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोलियम नियमावली के नियम 149 (5) के अनुसार आवेदन न प्राप्त होने पर भी लाइसेन्स जारी कर दिया गया तथा प्रकरण की जांच नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया गया कि भविष्य में 149 (5) के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 20 पेट्रोल पम्पों के द्वारा विस्फोटक नियंत्रक से प्रारूप 14 में अनुमति प्राप्त कर आगामी लेखा परीक्षा में सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत कर दी जायेगी। वर्तमान में नोजलों की जांच नहीं की गयी है भविष्य में जांच की जायेगी।

जिला पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भविष्य में पेट्रोलियम नियम 149 (5) के अनुसार कार्यवाही न किए जाने एवं सभी पम्पों के भविष्य में पेट्रोल पम्पों के नवीनीकरण के समय प्रारूप 14 अनिवार्य रूप से मांगे जाने से स्पष्ट था कि जिला पूर्ति अधिकारी की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोलियम नियमावली के नियम 149 (5) के अनुसार आवेदन न प्राप्त होने एवं सभी पेट्रोल पम्पों से विस्फोटक लाइसेन्स प्रारूप 14 में प्राप्त किए बिना लाइसेन्स जारी कर दिया गया। प्रकरण की जांच नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
229/2017-18	शून्य	01,02,03	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
55/2005-06	भाग- 2 (अ) 02 भाग-2 (ब) शून्य	अप्रस्तुत	यथावत	---
74/2008-09	भाग- 2 (अ) 01 भाग-2 (ब)- 02	अप्रस्तुत	यथावत	---
229/2017-18	भाग- 2 (अ) शून्य भाग-2 (ब)- 1,2,3	अप्रस्तुत	अनुपालनआख्या सीधे प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	---
अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या विभाग द्वारा तैयार नहीं की गयी एवं आश्वस्त किया गया कि उच्च अधिकारियों की संस्तुति के उपरांत अनुपालन आख्या सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पौड़ी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
3. अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।
4. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य
5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री जगदीश वर्मा	जिला पूर्ति अधिकारी	03/2018 से 20/06/18
2	श्री जसवंत सिंह कंडारी	जिला पूर्ति अधिकारी	20/06/18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र